न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **57/2020 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री सुशीला देवी उप निरीक्षक निवासी **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं अति.
ई – 10 पुलिस लाईन, भीलवाडा जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा

––अपीलार्थी **––प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 23-09-2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 25.08.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत एक आवेदन दिनांक 21.07.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा को प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 17.09.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा द्वारा पत्रांक/सूचना प्रकोष्ठ/2020/560 दिनांक 22.09.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) भीलवाडा ने निम्न प्रकार रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं –

1. अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 01 से 13 तक में से इस कार्यालय से संबंधित सूचना उपलब्ध करा दी जायेगी एवं शेष बिन्दुओं की सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने से व सूचना विभिन्न (एक से अधिक) लोक सूचना अधिकारियों के कार्यालय से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियमानुसार अंतरित नही की जाकर सूचना प्राप्ति हेतु संबंधित लोक सूचना अधिकारियों के कार्यालय में पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसी सूचना, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा के पत्रांक/385 दिनांक 27.07.2020 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी गयी है।
2. बिन्दु संख्या 07 की सूचना, राजस्व अनुभाग कार्यालय हाजा के पत्रांक 2040 दिनांक 28.07.2020 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी गयी है।
3. बिन्दु संख्या 02 एवं 04 में अंकित उपर्युक्त दोनों पत्रांकों को जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये लेकिन आवेदन पत्र में अंकित पते पर पोस्ट ऑफिस के एरिया पोस्टमैन द्वारा दिये गये पते पर उक्त व्यक्ति नहीं है मय टिप्पणी पुनः इस कार्यालय में लौट के प्राप्त हुए हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता हैं कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र में अंकित मोबाईल नं. पर संपर्क कर अपीलार्थी को नियमानुसार सूचना उपलब्ध करावें एवं अपीलार्थी के ईमेल पते पर भी सूचना प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 23-09-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा